AGRICULTURE DEPARTMENT

The 17th June, 1991

No. 179 (COT)-Agri.II(2)-90.—On the advice of the Comptroller and Auditor General of India, the Governor of Haryana, in exercise of the powers conferred on him under sub-section (3) of section 31 of the Warehousing Corporation Act, 1962, is pleased to appoint M/s. R. Niwas Aggarwal & Co., Chartered Accountants, H. No. 6, Civil Lines 11, Subhash Marg, Railway Road, Karnal as Auditors for auditing the accounts of Haryana Warehousing Corporation, Chandigarh for the year 1990-91 at a total remuneration of Rs. 20,000/- (Rupee twenty thousand) only inclusive of all expenses.

M. K. MIGLANI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Agriculture Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरस्कार

दिनांक 28 जून, 1991

क्रमांक 1363-ज-1-91/12889.—श्री छाजू राम, पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी गांव पायगा, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1252-ज-82/28111, दिनांक 13 अगस्त, 1982 द्वारा 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री छाजू राम की दिनांक 31 जनवरी, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री छाजू राम की विधवा श्रीमती मैनादेवी के नाम खरीफ, 1990 से 300 रु० वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1018-ज-1-91/12893.—श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री जय लाल, निवासी गांव सेरिया, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3168-ज-2-77/3254, दिनांक 1 फरवरी, 1978 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-3-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री भगवान सिंह की दिनांक 1 मई, 1990 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री भगवान सिंह की विधवा श्रीमती माना के नाम खरीफ, 1990 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

आर० एल० चावला,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।